मनरेगा योजना के मार्ग में आने वाली विभिन्न समस्याऐं

रीना दुबे व डॉ. उषा अग्रवाल

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होने के साथ–साथ बुद्धिजीवी व जिज्ञासु प्रवृति का प्राणी है। मनुष्य के द्वारा किये गये कार्य के पीछे कोई न कोई उदेदश्य अवश्य होता है, अगर उसे अपने कार्य में सफलता मिल जाती है तो समझा जाता है कि कार्य में कहीं कोई कमी नहीं की गयी और अगर सफलता नहीं मिलती तो कोई न कोई कमी अवश्य रह गयी होगी जिसकी वजह से कार्य सफल नही हो सका।

इसी तरह से समाज का विकास करने के लिए विभिन्न योजनायें एवं कार्यक्रम बनाये जाते हैं और उनका एकमात्र उद्देश्य समाज का विकास करना है ऐसे में अगर इन कार्यक्रम व योजनाओं को लागू करने के उपरान्त सफलता नही मिलती तो इसके लिए बहुत सी कमियॉ उत्तरदायी हो सकती हैं ऐसे ही भारत के गरीब तबके की जिन्दगी पर गहरा असर छोड़ने वाली ''महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना (मनरेगा) को अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर सराहना तो मिली है, लेकिन आज यह योजना संकट में है।

मनरेगा योजना अपने जन्म के 11 वर्ष पूरे कर 12वें वर्ष में चल रहीं है, पर इस योजना ने कहीं खुश तो कहीं गम दिया है। गॉवों में आज भी एक ऐसा भी तबका है जो रात में भूखे पेट सोता है। मनरेगा जैसी बहुआयामी योजना का गठन इन्हीं भूखे पेटों को भरने के लिए हुआ था पर सच्चाई कुछ और ही है। इस योजना में अनेक खामियाँ नजर आ रही है। जिन पर खुद प्रधानमंत्री जी कई बार चिन्ता दिखा चुके है।।

गरीब बेरोजगारों को सौ दिन की न्यूनतम रोजगार देने वाली मनरेगा योजना आज एक छलावा साबित हो रही है। नीति–निर्माण और क्रियान्वयन में खामियाँ से भरी इस योजना को सबसे बड़ा झटका भ्रष्टाचार ने दिया है।

दूसरी अन्य सरकारी योजनओं की तरह ही इसमें भी रिश्वतखोरी बंदरवाट के कारण सरकारी पैसे की व्यापक बर्बादी की जा रही है। मनरेगा योजना के भुरूआती वर्ष तो सफलता के कहे जा सकते है लेकिन समय बीतने के साथ ही यह योजना विफल होती चली गयी।

2010–11 में मनरेगा योजना के लिए बजट में 40 सौ करोड़ रूपए आवंटित किया गया था वह 2013–14में घटाकर 33 सौ करोड़ रूपए आवंटित कर दिया गया। वह भी जब प्रति व्यक्ति दैनिक मजदूरी 100 रूपए मात्र थी। जो अब बढकर 175 रूपए हो गई।

सरकार की दिशाहीनता का पता इस बात से भी चलता है कि एक तरफ कार्यदिवसों की संख्या कुछ क्षेत्रों में बढाकर सौ से डेढ सौ दिन कर दी, वही बजटीय आवंटन में मामूली वृद्धि यानी एक हजार करोड़ रूपए की गई, जबकि जरूरत इससे कही ज्यादा की थी।

पिछली सरकार ने इस योजना के तहत दिये जाने वाले रोजगार का हिसाव–किताब रखने के लिए एक ऐसी प्रबन्ध तन्त्र सूचना पद्धति विकसित की, यह एक ऐसी कम्प्यूटरीकृत व्यवस्था है, जिसमें हर लाभार्थी को दिये जाने वाले काम व मजदूरी का हिसाब–किताब रखा जाता है। इस व्यवस्था की प्रोग्रामिंग कुछ इस तरह से की गई जैसे ही किसी व्यक्ति को सौ दिन का रोजगार मिल जाता है वह और कार्य की मॉग करता तो वह कम्प्यूटरीकृत प्रोग्राम उसके दावे को स्वीकार ही नही करता । इस तरह से किसी भी लाभार्थी को सौ दिनों के न्यूनतम रोजगार का कार्यक्रम सौ दिनों के अधिकतम रोजगार योजना तक सीमित हो कर ही रह जाता है।

इस बदहाली को अगर ध्यान से समझने की कोशिश की जाये तो पता चलता है कि इसमें केन्द्र से ज्यादा राज्य सरकारों का दोष रहा है। दरअसल रोजगार गारन्टी योजना के तहत प्रावधान यह है कि भुरुआती सौ दिनों के रोजगार के लिए मजदूरी का भुगतान राज्य सरकार को करना होता है यहॉ राज्य सरकारों ने चतुराई की इस कम्प्यूरीकृत प्रोग्राम को इस तरह से तैयार किया कि मनरेगा श्रमिकों को 100 दिन से अधिक रोजगार न देना पडे।

इस योजना को लेकर सरकारी उदासीनता या यों कहे कि लापरवाही यही खत्म नही होती। इस योजना के तहत ऐसी

व्यवस्था बनायी गयी है कि गहराई से देखने पर यह पता चलता है कि मनरेगा योजना संविधान की मूल भावना के प्रतिकूल हैं। देश के संविधान में मौलिक आधिकारों की मॉग की गई हैं। जिसमें किसी तरह के लैंगिक भेदभाव पर रोक है लेकिन सच तो यह है कि यह योजना बहुत सी दूसरी खामियॉ के साथ लैंगिक भेदभाव की बुनियाद पर खड़ी है।

मनरेगा योजना के तहत वीते वर्ष कराए गए कार्य के करीब 3 करोड से अधिक की मजदूरी का भुगतान अब तक नही हो सका। मजदूरी का भुगतान नही होने से ग्रामीण मजदूरों के सामने भरण–पोषण की समस्या उत्पन्न हो गयी है। ऐसे में जिन मजदूरों के सामने रोज कमाओ रोज चूल्हा जलाओं की स्थिति सामने होती है तो उनके सामने विषम परिस्थितियो निर्मित हो जाती है। समय पर मनरेगा मजदूरों की मजदूरी का भुगतान नही होने पर श्रमिक दोबारा मनरेगा योजना में काम करने से कतराते हैं यही कारण है कि कई गॉव से ऐसे भुक्त योगी मजदूर काम की तलाश में गॉव से पलायन करने को मजबूर हो जाते है। मनरेगा योजना में मिलने वाले काम की स्थिति निरा ाजनक है। 2013–14 प्रत्येक परिवार को 46.2 दिन ही काम मिला था वह 2014–15 में घटकर 42.8 दिन ही रह गया।

मनरेगा योजना का मकसद ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों की स्थिति को सुधारना था मगर यह योजना गरीबों को मजदूरी देने के स्थान पर नौकर भााहों और जनप्रतिनिधियों की काली कमाई बन गई है।

उत्तर–प्रदेश में एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायलय ने लखनऊ खण्ड पीठ को सी बी आई को मनरेगा योजना के घोटालों की जॉच का आदेश देना पड़ा जॉच के क्रम में सी.बी.आई. ने जिले में उपलब्ध अभिलेखों और अन्य सबूतो के आधार पर कई लोगों के विरुद्ध अपराधिक साजिश धोखाधड़ी पद का दुर्रुप्रयोग और भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत वित्तीय अनियमिताओं के मामले दर्ज किये।

मनरेगा योजना को लागू करने के लिए जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी बार–2 यह ऑकडा दिखलाते है कि जॉब कार्ड मॉगने वाले बहुत कम लोग आते है जबकि हकीकत यह है कि ग्रामीण श्रमिकों को जॉब कार्ड बनवाने और उसके बाद काम पाने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों की बेगार करनी पडती है। जो अधिकारी ईमानदारी दिखलाते हैं उनके यहाँ मनरेगा के लिए फंड भेजने व रोकने और तरह–तरह से परेशान करने की कोशिश की जाती है।

मनरेगा योजना में सबसे बडी समस्या भाई–भतीजाबाद की है जिसके अन्तर्गत मनरेगा योजना में कार्यरत अधिकारी अपने परिवार को ही लाभ देते हैं। इस प्रकार जिनके लिए यह योजना बनाई गई है उनको ही इस योजना से लाभ नही मिल पाता तथा ग्रामीण गरीव का गरीब ही रह जाता है इसलिए भाई भतीजाबाद मनरेगा योजना के मार्ग में सवसे बडी समस्या हैं।

दूसरी समस्या मनरेगा योजना में राजनैतिक हस्तक्षेप की है। जिसकी बजह से मनरेगा मजदूरों का भाोषण हो रहा है ग्रामीण लोग इसे मनरेगा योजना को सफल बनाने में बहुत बडी बाधा मानते है।

लोक निर्माण विभाग को मनरेगा योजना के तहत चालू वित वर्ष में कार्य कराने के लिए 806 करोड रुपये आवंटित किये गये थे लेकिन लोक–निर्माण विभाग ने मात्र 56 करोड़ रूपए के ही कार्य कराये। बाकी पैसा से अपनी झोली भर ली। इस प्रकार मनरेगा योजना के मार्ग में राजनैतिक हस्तक्षेप बहुत–बडी समस्या है, जिसमें गरीबों के धन का खूब गलत इस्तेमाल किया जा रहा है।

मनरेगा योजना में तीसरी समस्या मनरेगा योजना के कार्यों को कराने के लिए ठेकेदारों एवं मशीनों को भाामिल किया जा रहा है, जिसके कारण ग्रामीणों को काम नहीं मिल रहा, क्योंकि सारा कार्य तो गॉव के प्रधान, ठेकेदारो और मशीनों से करवाते है और मजदूरो के नाम पर आया पैसा खुद हड़प जाते है। इस प्रकार इसकी बजह से मजदूरों को उनके हक से बंचित किया जा रहा है। क्योंकि मनरेगा योजना का धन गरीबों तक नही पहुॅच पा रहा है तथा राशि के घोटाले के कई मामले भी सामने आ रहे हैं। इसके साथ ही मनरेगा योजना में मजदूरो को समय पर बेतन न मिलने से मजदूरो को आर्थिक और मानसिक कष्टों का सामना करना पडता है।

उन लोगों को बार–2 बैंक के चक्कर लगाने पड़ते है। बैकों के कई चक्कर लगाने के बाद पता चलता है कि खाते में पैसे ही नही है। इस प्रकार खाते में पैसे न होने के कारण पंचायत अधिकारी मजदूरों को झूठा आश्वासन देकर उनके साथ सिर्फ मजाक करते हैं। इस कारण ग्रामीण इस योजना में कार्य करने के लिए इच्छुक नहीं होते। इस प्रकार मनरेगा मजदूर मनरेगा योजना में मानसिक और आर्थिक कष्टों का सामना करते है। अतः मनरेगा योजना को सफल होने से ये वेतन समस्या सबसे बड़ी समस्या है क्योंकि इसी के लिए श्रमिक अपना श्रम बेचता है और श्रम बेचने के बाद वेतन समय पर नहीं मिलता

तो मजदूरों को बहुत मानसिक और आर्थिक कष्ट होता हैं।

इस प्रकार विभिन्न प्रकार की समस्यायें मनरेगा योजना को विफल बना रही है अगर इस योजना का यही हाल रहा तो यह योजना कभी अपने लक्ष्य तक नही पहुँच पायेगी तथा भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कभी नई भाक्ति प्रदान नहीं कर पायेगी। अतः मनरेगा योजना एक उपयोगी तथा जनपक्षीय योजना है, इसीलिए इसे ईमानदारी से और सम्पूर्णता के साथ लागू करने की जरुरत है साथ ही जहाँ भ्रष्टाचार की शिकायत मिले वहॉ त्वरित कार्यवाही की जानी चाहिए तथा सुरक्षा उपायों को सख्ती के साथ लागू किया जाना चाहिए।

शोधार्थी, समाजशास्त्र विभाग
डॉ. बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा
कु . आर.सी.एम. पी.जी. कॉलेज, मैनपुरी

सन्दर्भ–सूची

1– आलोक भार्मा – मनरेगा में व्याप्त भ्रष्टाचार पत्रिका कुरुक्षेत्र अगस्त 2014 जगन्नाथ विश्वविधालय चाकसू जयपुर राजस्थान में प्रवन्धन संकाय के व्याख्याता है
2– अखिलेशचन्द्र यादव – गॉवो की बदलती तस्वीर (कुरुक्षेत्र अक्टूबर 2010)
3– गोपीनाथ घोष – लेख पारदर्शिता के लिए जरुरी सामाजिक अंकेक्षण पत्रिका योजना अगस्त 2012
4– मेहता प्रताप भानु – द पॉलिटिक्स ऑफ सोशल जस्टिस इन इण्डिया
5– भाशिवाला – ग्रामीण विकास –एक विशिष्ट अवलोकन कुरुक्षेत्र दिसम्बर 2011